दिनांक 13.11.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई के राजस्व अधिकारी एच0के0 चन्द्राकर ने जानकारी देते हुए बताया कि महापौर परिषद द्वारा पारित संकल्प अनुसार रावणभाठा सुपेला में स्थित शीतला तालाब निस्तारी हेतु सुरक्षित रखे जाने के कारण मछली पालन हेतु ठेका प्रदान नहीं किया जा सकता। उक्त तालाब पर किसी भी प्रकार का मछली पालन एवं मारने का कार्य न करें।

निगम द्वारा रावणभाठा सुपेला में स्थित शीतला तालाब का ठेका हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। निगम द्वारा जारी विज्ञापन के आधार अध्यक्ष जय दुर्गा मछुआ सहकारी समिति सुपेला द्वारा रावणभाठा सुपेला में स्थित शीतला तालाब को शासन के निर्देशानुसार 10 वर्षीय पट्टे पर मछली पालन हेतु ठेका दिये जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

जिसे महापौर की बैठक दिनांक 14 अगस्त 2017 में प्रस्तुत किया गया था। महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर महापौर परिषद की बैठक दिनांक 14 अगस्त 2017 के प्रस्ताव क्र. 04 पर चर्चा उपरान्त उक्त तालाब मछली पालन से मुक्त करने एवं निस्तारी हेतु सुरक्षित रखे जाने का सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया।

जनसम्पर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम भिलाई